न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : हरि मोहन मीना I.A.S.

प्रकरण संख्या –54 / 2021 (अपील)
जीसीएमएस नं0 2021 / 284

1. सीताराम आत्मज श्री श्रीलाल जाति माली
2. पाना बाई पत्नि सीताराम जाति माली निवासीगण ढोटीपाडा सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा (राज0)

––अपीलाण्ट

बनाम

1. भैरूलाल आत्मज सीताराम जाति माली निवासी ग्राम गुन्जारा तहसील कनवास जिला कोटा
2. राजेन्द्र आत्मज सीताराम जाति माली निवासी दरगाह के पास वार्ड नम्बर 11 वन विभाग नाके के पास कोटा रोड सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा
3. दिनेश कुमार आत्मज सीताराम जाति माली निवासी दरगाह के पास वार्ड नम्बर 11 कोटा रोड सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा
4. बजरंगलाल आत्मज सीताराम जाति माली निवासी ग्राम गंजारा तहसील कनवास जिला कोटा

––रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 25.10.2021 न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सांगोद के प्रकरण संख्या 2 / 2021 बउनवान सीताराम बनाम भैरूलाल वगै0 अन्तर्गत सीनियर सिटीजन एक्ट 2007

उपस्थितः–

1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक अपीलान्ट

निर्णय

दिनांकः–17 / 05 / 2022

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में सीनियर सिटीजन 2007 के तहत अधीनस्थ न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट सांगोद के यहां दिनांक 5.10.2021 को पेश किया गया, जिस पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगोद ने आदेश दिनांक 25.10.2021 से अप्रार्थी कम 1 लगायत 4 प्रत्येक 1000 / – प्रतिमाह व अप्रार्थी कम 1 भैरूलाल से 2000 / – प्रतिमाह दिलवाये जाने के आदेश प्रदान किया तथा जनवरी माह से प्रत्येक 3–3 माह प्रार्थीगण को बारी बारी से भोजन की व्यवस्था करने का आदेश प्रदान किया ।

जिला कलेक्टर
कोटा

2. उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह अपील दिनांक 26.11.2021 को पेश की गई जो दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई । रेस्पोडेन्ट की ओर से एडवोकेट श्री रविन्द्र खण्डेलवाल का वकालतनामा पेश हुआ । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलबी हेतु लिखा गया किन्तु पत्रावली अप्राप्त है । रेस्पोडेन्ट एवं वकील रेस्पोडेन्ट अनुपस्थित, रूकरूककर आवांजे लगवाई गई किन्तु कोई उपस्थित नहीं होने पर प्रार्थी अपीलांट की प्रार्थना पर अपीलांट एवं वकील अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

3. वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि प्रार्थीगण द्वारा अन्तर्गत सीनियर सिटीजन एक्ट एवं जीवन निर्वाह, इलाज के लिये खर्चा दिलवाये जाने बाबत रेस्पोडेन्ट के विरूद्व योग्य अधिनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण पुत्रों द्वारा प्रार्थीगण के साथ दुर्व्यवहार एवं देखभाल नहीं करने पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रत्येक अप्रार्थी से 5000/– प्रतिमाह राशि दिलवाये जाने का निवेदन किया । जिस पर योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को तलब कर उन्हें सुनवायी का अवसर प्रदान कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी क्रम 2 लगायत 4 से प्रत्येक 1000/– प्रतिमाह व अप्रार्थी क्रम 1 भैरूलाल से 2000/– रूपये प्रतिमाह दिलवाये जाने का आदेश प्रदान किया तथा जनवरी माह से प्रत्येक 3–3 माह प्रार्थीगण को बारी बारी से भोजन की व्यवस्था करने का आदेश प्रदान किया ।अपीलान्ट के रेस्पोडेन्ट पुत्र व 7 पुत्रियां है अपीलान्ट द्वारा सभी पुत्र व पुत्रियों की शादी कर दी है । अपीलान्ट क्रम 1 पूर्व में ग्राम पंचायत गुजारा का सरपंच रहा है, अपीलान्ट अपने समाज में और आस पास के गावों में प्रतिष्ठित व्यक्ति है । अपीलान्ट के नाम आज भी 60 बीघा आराजी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिनको रेस्पोडेन्ट द्वारा जबरन छीनकर उपयोग व उपभोग किया जा रहा है इस प्रकार अपीलान्ट के पास आय का किसी भी प्रकार से स्रोत नहीं रहा है । रेस्पोडेन्ट के पास काफी आय के स्रोत है, रेस्पोडेन्टगण के पास पृथक से 4 पहिया वाहन है तथा जिन पर नौकर चाकर काम करते है । रेस्पोडेन्ट द्वारा सांगोद में अपना स्वयं का व्यवसाय है जो काफी अच्छा चलता है, रेस्पोडेन्ट क्रम 3 वर्तमान में नगर पालिका में वार्ड पार्षद के पद पर कार्यरत है । अपीलान्ट द्वारा वर्ष 2019 में अपने पुत्र रेस्पोडेन्ट के मध्य बंटवारा कर देने के बाद से रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट की देख रेख करना बन्द कर दिया अपीलान्ट का आय का कोई स्रोत नहीं है, अपीलान्ट भूखे मरने की स्थिति में है जो कुछ रिश्तेदार व पडोसी सहायता करदे उसी से अपीलान्ट का जीवन यापन चल रहा है । रेस्पोडेन्ट न तो अपनी बहिनों की सार सम्भाल ले रहे है और न ही उनके किसी कार्यक्रम में उपस्थिति प्रदान करते है । रेस्पोडेन्टगण द्वारा अपीलान्ट के साथ मारपीट एवं अमानवीय व्यवहार किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को नहीं सुनकर केवल मात्र रेस्पोडेन्ट द्वारा जिस प्रकार से सहमति व्यक्त की वही आदेश प्रदान कर दिया । 2000/– तो मात्र बिजली पानी के बिलों में ही चला जाता है, प्रार्थी /अपीलान्ट वृद्व एवं बीमार व्यक्ति है जिनके देखरेख इलाज आदि में लगभग 20,000/– प्रतिमाह की आवश्यकता है । अतः

जिला कलेक्टर
कोटा

अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 25.10.2021 में संशोधन कर रेस्पोडेन्ट से 20,000/– प्रतिमाह एवं इलाज, भोजन आदि पृथक से राशि दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करें एवं अपीलान्ट को अपने नाम दर्ज आराजी पर से रेस्पोडेन्ट को बेदखल कर कब्जा प्रदान किया जावें ।

4. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी, बहस पर मनन किया, पत्रावली का भली भांती अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया है वह स्पष्ट आदेश नहीं है, क्योंकि अप्रार्थी रेस्पोडेन्टगण द्वारा जो सहमति दी गई, उसी का वर्णन किया गया है, न्यायालय द्वारा अपनी ओर से कोई स्पष्ट आदेश पारित नहीं किया है जो स्पीकिंग ऑर्डर की परिभाषा में नहीं आता है । अपीलान्ट स्वयं 60 बीघा कृषि भूमि का खातेदार है, उक्त कृषि भूमि का बंटवारा कर रेस्पोडेन्टगण पुत्रों को देना बताया है, किन्तु खातेदार अपीलान्ट ही है, फिर भी रेस्पोडेन्टगण द्वारा उनके भरण पोषण, हारी बीमारी में इलाज आदि की व्यवस्था नहीं करना उचित नहीं है । चूंकि अपीलान्ट के 7 पुत्रीयां भी है तथा पूर्व सरपंच होने के कारण प्रतिष्ठित व्यक्ति है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया है जिसमें चारों पुत्रों से कुल 5000/– की राशि के भुगतान के एवं भोजन के लिए प्रत्येक पुत्र के पास 3–3 माह के आदेश किये है । प्रार्थी अपीलांट की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक पुत्र से 5000/– प्रतिमाह कुल 20,000/– अपीलान्ट को दिलाया जाना उचित मानते है । पुत्रों द्वारा माता पिता को भोजन नहीं देना मानवीय संवेदनहीनता का प्रतीत है । इस हेतु भोजन के लिए अपीलान्टान जिस पुत्र के साथ रहे उन्हें भोजन की व्यवस्था की जाए । कृषि भूमि को भी अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट से कब्जा दिलाने हेतु निवेदन किया है । इस पर हमारा मानना है कि अपीलान्ट द्वारा बताई गई कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि होना स्वयं द्वारा अपील मेमों में अंकित किया है, तथा स्वअर्जित सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है, इस हेतु इस पर कोई आदेश दिया जाना उचित नहीं पाते है ।

5. उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 25.10.2021 निरस्त किया जाकर आदेश दिये जाते है कि रेस्पोडेन्टगण प्रत्येक 5000/– कुल 20,000/– प्रार्थी अपीलांट के बैंक खाते में प्रतिमाह अदा करेंगे तथा भोजन के लिए अपीलान्टान जिस पुत्र के साथ रहना चाहे उन्हें भोजन की व्यवस्था की जाए । निर्णय की प्रति उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगोद को पालना हेतु भिजवाई जावें ।

6. निर्णय आज दिनांक 17.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(हरि मोहन मीना)
जिला कलक्टर कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा